संख्या-3/2016/क0नि0-4-173/11-16-300(1)/2015

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 18 फरवरी, 2016

विषयः- वाणिज्य कर विभाग में प्रतिस्थापन स्वरूप नये कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सहवर्ती उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी-4-नजारत-अनुभाग-हार्डवेयर क्रय (2015-16)/176/वाणिज्य कर, दिनांक 21 जनवरी, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या:23/2015/क0नि0-4-657/11-2015-300(24)/2014, दिनांक 08-04-2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनेत्तर बजट के अन्तर्गत 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय मद में रूपये 10.00 करोड़ (रू0 दस करोड़) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। विभाग में उपलब्ध कम्प्यूटर सिस्टम के स्थान पर नये कम्प्यूटर सिस्टम एवं सहवर्ती उपकरणों के प्रतिस्थापन पर होने वाले व्यय का भुगतान करने हेतु उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष रूपये 7,39,55,200.00 (रूपये सात करोड़ उनतालिस लाख पचपन हजार दो सौ मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त अग्रिम का आहरण शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं शासनादेश संख्या- ए-1-235/दस-2011-15(4)/69, दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ए- 1-1173/दस-2001-10(55)/2000, दिनांक 27 अप्रैल, 2001 एवं शासनादेश संख्याःए-1-464/दस-04-10(55)/2000, दिनांक 04 नवम्बर, 2004 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.3.2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा तथा उक्त धनराशि का समायोजन भी दिनांक 31.3.2016 तक कर लिया जायेगा एवं महालेखाकार, उ0प्र0 को समायोजन भेजा जाय।

(4) उक्त अग्रिम धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपभोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकीय कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 08-04-2015 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-एफ.ए.-1-58/दस-2016, दिनांक 16 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

संख्या 3/2016/क0नि0-4-173 (1)/11-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in